सं0– 502/XXVIII–5–2009–42/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2009

विषय– वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की अवचनबद्व मदों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त के पत्र सं0– 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवचनबद्व मदों के लिये वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष संलग्नक–1, 2 एवं 3 के विवरणानुसार अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में रू0 486.78 लाख एवं आयोजनेत्तर मदों में रू0 959.39 लाख तथा अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में रू0 2.36 लाख एवं अनुदान सं0–31 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में रू0 4.08 लाख इस प्रकार कुल रू0 1452.61 लाख (रूपये चौहद करोड़ बावन लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008 दिंनाक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

...........2

7. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. जिन योजनाओं मे विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उनमें समस्त औपचारिकतायें तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान मे कठिनाई/विलम्ब न हो।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–18(P)XXVII(3)/2009–10 दिनांक 19.05.2009. में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

सं0–562(1)/XXVIII–5–2008–42/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. कनट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव